पटवारी हल्का थाना बनाम प्यारेलाल वगै0
मुकदमा संख्या:– 03/86/2024
आनलाईन नम्बर:–2024/420
निर्णय तिथि–11.06.2025

न्यायालय
खण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हरकेश मीना आर.ए.एस.)

संख्या :–03/86/2024 ऑनलाईन नम्बर:–2024/420 प्रवेश तिथि:–03.07.2024

1. पटवारी हल्का थाना राजाजी जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. प्यारेलाल, बनवारी लाल, शिम्भूदयाल पुत्रान हरचन्द जाति बैरवा निवासी थाना तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित– तहसीलदार राजगढ–प्रार्थी
श्री विश्वास मित्तल एड. अप्रार्थी–शिम्भूदयाल

दिनांक'–11/06/2025

–:निर्णय:–

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 427/0.70 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को खर्दु–बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 03/07/2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से प्लॉटिग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 22.03.2024 को इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी खसरा 427/0.70 है वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ पर अवैध प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी प्यारेलाल, बनवारी, असालतान तथा शिम्भुदयाल असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके और से जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

पटवारी हल्का थाना बनाम प्यारेलाल वगै0
मुकदमा संख्या:– 03/86/2024
आनलाईन नम्बर:–2024/420
निर्णय तिथि–11.06.2025

यह है कि आराजी खसरा संख्या 427/0.70 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के भूमि रूपान्तरण के लिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजगढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। भूमि रूपान्तरण के आवेदन की रशीद संलग्न है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. हाजा कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2025/112 दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजगढ से भू–उपयोग परिवर्तन की रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजगढ के पत्रांक क्रमांक/न.पा.रा./2025/404 दिनांक 03.06.2025 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आवेदक प्यारेलाल, बनवारीलाल, शिम्भूदयाल पुत्रान श्री हरचन्द जाति बैरवा निवासी थाना तहसील राजगढ जिला अलवर ने राजस्व ग्राम थाना राजाजी के आराजी खसरा संख्या 427 क्षेत्रफल 8369 वर्गगज के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यालय नगरपालिका राजगढ में पत्रावली दाखील की गई है। उक्त पत्रावली में नगरपालिका द्वारा प्रेजेन्टेशन शुल्क एवं आपत्ति सुचना शुल्क 3100 रूपये दिनांक 22.05.2025 को प्राप्त कर आपत्ति सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। उक्त आपत्ति सुचना दिनांक 28.05.2025 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. बहस अप्रार्थीगण प्यारेलाल, बनवारी लाल, शिम्भूदयाल पुत्रान हरचन्द जाति बैरवा की सुनी गई। उन्होने अपने जवाब दावे में अंकित तथ्यो को मात्र दोहराया और प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

6. बहस प्रार्थी/अप्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी की विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 427/0.70 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस में अप्रार्थीगण/खातेदारान के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजगढ के समक्ष भूमि रूपान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। बाद गौर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र आराजी संख्या खसरा संख्या 427/0.27 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
यह आदेश आज दिनांक 11/06/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(हरकेश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर